सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमा-शुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सी वी डी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे ।

सीमाशुल्क के बारे में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. पेट्रोलियम

(1) अपरिष्कृत पेट्रोलियम पर सीमाशुल्क शून्य से बढ़ा कर 5 प्रतिशत किया जा रहा है।

(2) मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और एच.एस.डी. (डीजल) पर सीमाशुल्क 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जा रहा है।

(3) कुछ अन्य विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

ख. बहुमूल्य धातु

(1) क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों (तोला छड़ों से भिन्न) और स्वर्ण सिक्कों पर सीमाशुल्क प्रति दस ग्राम 200 रुपए से बढ़ाकर प्रति 10 ग्राम 300 रुपए किया जा रहा है।

(2) स्वर्ण के अन्य रूप पर सीमाशुल्क 500 रुपए प्रति किग्रा से बढ़ाकर 750 रु. प्रति किलो ग्राम किया जा रहा है।

(3) चांदी पर सीमाशुल्क 1000 रुपए प्रति कि. ग्रा. से बढ़ाकर 1500 रु. प्रति कि. ग्रा. किया जा रहा है।

(4) प्लेटिनम पर सीमाशुल्क 200 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 10 ग्राम किया जा रहा है।

दरों में उपरोक्त परिवर्तन भी लागू होंगे जब स्वर्ण, रजत-प्लेटिनिम (आभूषणों सहित) को निजी सामान के रूप में आयात किए जाते हैं।

ग. 4% के सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क (विशेष सीवीडी)

पैकिंग पूर्व रूप में और फुटकर विक्रय के लिए आशयित आयातित माल और कतिपय विनिर्दिष्ट माल अर्थात् तैयार वस्त्र, मोबाइल फोन और घड़ियों पर 4% अतिरिक्त सीमाशुल्क से तत्काल छूट प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त कार्बन ब्लैक फीडस्टाक, अपशिष्ट कागज और कागज स्क्रैप को भी इस शुल्क से तत्काल छूट प्रदान की जा रही है।

प्रतिदाय के माध्यम से विद्यमान छूट अन्य मदों पर भी जारी रहेगी।

घ. खाद्य/कृषि प्रसंस्करण

(1) परियोजना आयात प्रास्थिति, कृषि, मधुवाटिका, उद्यान कृषि, डेयरी, कुक्कुट जलीय और समुद्री उत्पाद और मांस के प्रसंस्करण के लिए परिरक्षण या भंडारकरण या औद्योगिक इकाई के लिए शीतागार; शीतकक्ष (शीतलक पूर्व फार्म सहित) के प्रारंभिक गठन या सारवान विस्तार करने के लिए मंजूर की जा रही है। इन परियोजनाओं में 5% आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दर लागू होगी।

(2) परियोजना आयात प्रास्थिति, 5% की आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दर सहित खाद्यान, और चीनी के लिए मंडियों और भांडागारों में यांत्रिकी हथालन प्रणाली और पैलेट रैकिंग प्रणालियों के संस्थापन के लिए मंजूर की जा रही है। ऐसी प्रणालियों को भी अतिरिक्त सीमाशुल्क (सी.वी.डी.) और अतिरिक्त विशेष सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(3) प्रशीतित्र वैन/ट्रकों के विनिर्माण के लिए ट्रक प्रशीतन इकाइयों को पूर्ण रूप से आधारिक सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है। ऐसी इकाइयों को उत्पाद-शुल्क से पहले ही छूट प्रदान की जा रही है।

(4) धान प्रतिरोपक, लेजर लैंड लेवलर, कॉटन पिकर, रीपर सह बाइंडर; पुआल या चारा प्रवाहक, गन्ना हारवेस्टर ट्रैक प्रकार के सहयोजित हारवेस्टर आदि के लिए उपयोग किए गए ट्रैक जैसी विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी पर आधारिक सीमाशुल्क 7.5% से घटा कर के 5% किया जा रहा है।

ङ कृषि/उद्यान कृषि

(1) पीपरा मूल पर आधारिक सीमाशुल्क 70% से घटाकर 30% किया जा रहा है।

(2) "ऐसाफोरिडा" (हींग) पर आधारिक सीमाशुल्क 30% से घटाकर 20% किया जा रहा है।

(3) जैव अपचय कृषि मल्च फिल्म, नर्सरी बागान और फूलदानों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए बायोपालीमर/बायोप्लास्टिक (एच.एस. कोड 39139090) को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

च. पूंजी माल

(1) शहरी परिवहन के लिए मोनो रेल परियोजनाओं को शीर्षक सं. 9801 के अधीन परियोजना आयात प्रास्थिति मंजूर की जा रही है और तद्नुसार 5% आधारिक सीमाशुल्क की रियायत दर लागू होगी।

(2) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टनेल बोरिंग मशीन को शून्य सी.वी.डी. सहित आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

(3) चाय, कॉफी और रबड़ बागान के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर 06-07-2010 तक वर्तमान उपलब्ध 5% की सीमाशुल्क की रियायती दर को 31-03-2011 तक बढ़ाया जा रहा है। उत्पाद-शुल्क छूट को इन मदों पर 31-03-2011 तक के लिए भी पुनःआरंभ किया जा रहा है।

(4) विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट सड़क निर्माण मशीनरी को वर्तमान में सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है। अवक्षयण मूल्य पर ऐसी मशीनरी का विक्रय या व्ययन को विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन आयात के समय लागू दर पर अवक्षयण मूल्य पर सीमाशुल्क के संदाय पर अवक्षयण मूल्य पर अनुज्ञात किया जा रहा है।

छ. पर्यावरण हितैषी मदों के लिए रियायतें

(1) कारें, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन (जैसे सोलेक्शा) सहित इलेक्ट्रिकल वाहनों के सभी प्रवर्गों के विनिर्माण के लिए आयातित बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रिक मोटर और ए.सी.डी.सी. मोटर नियंत्रक सहित विनिर्दिष्ट भाग अर्थात बैटरी को आधारिक सीमा शुल्क और सीमाशुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट को बढ़ाया जा रहा है। इन भागों पर 4% सी.वी.डी. लागू होगा। रियायत, वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अध्यधीन है, यह 31.3.2013 तक उपलब्ध रहेगी।

(2) सोलर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं या सुविधाओं के प्रांरभिक गठन के लिए अपेक्षित मशीनरी मदें, उपकरणों और साधित्रों को 5% के आधारिक सीमाशुल्क की रियायत दर प्रदान की जा रही है। इन मदों को उन्हें प्रदान की गई उत्पाद-शुल्क से छूट के द्वारा भी सी.वी.डी. से छूट प्रदान की गई है।

(3) भू-स्रोत ऊष्मा पम्प (भू-तापीय ऊर्जा) को आधारिक सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

ज. स्वास्थ्य सेक्टर

(1) इस समय, चिकित्सा उपस्करों पर सीमाशुल्क की घटी-बढ़ी दरें लागू हैं। और अनेक सूचियों में व्याप्त हैं। दरों की बहुलता को दूर किया जा रहा है और अब सभी चिकित्सीय उपस्कर (कुछ अपवादों सहित) पर आधारिक सीमाशुल्क का 5%, सी.वी.डी. उत्पाद-शुल्क 4% और शून्य विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क लागू होगा (अर्थात 9.2% का प्रभावी शुल्क)।

(2) चिकित्सीय उपस्कर में विनिर्माण और उपसाधन के लिए अपेक्षित भाग, शून्य विशेष सी.वी.डी. के साथ 5% रियायती आधारिक सीमाशुल्क लागू होगा।

(3) चिकत्सीय उपस्कर के अनुरक्षण के लिए पुर्जों को उपलब्ध रियायती सीमा शुल्क को विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर वापस लिया जा रहा है।

(4) विनिर्दिष्ट चिकत्सीय युक्तियों (वर्णन द्वारा छूट प्राप्त) और साथ ही सहायक युक्तियों, पुनर्वास सहायिकियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए अन्य मालों (सूची 41) हेतु आधारिक सीमाशुल्क और प्रति शुल्क/उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट को बनाए रखा जा रहा है।

(5) आर्थोपेडिक इम्पलांटस के विनिर्माण के लिए कोबाल्ट-क्रोम मिश्रातु, विशेष ग्रेड इस्पात आदि को वास्तविक उपयोक्ता परिस्थिति के अधीन रहते हुए आधारिक सीमाशुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

झ. इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर

(1) बैटरी चार्जर और हैंड्स फ्री हैडफोन, मोबाइल फोनों के मूलभूत उपसाधन हैं। मोबाइल हेंडसेटों, जिनके अंतर्गत सेलुलर फोन और उनके पुर्जे भी हैं, के विनिर्माण के लिए पुर्जो, संघटकों, उपसाधनों के लिए वर्तमान में उपलब्ध आधारिक सीमा शुल्क और प्रतिशुल्क के लिए छूट को "बेटरी चार्जरों और हेंडस फ्री हेडफोनों के विनिर्माण के लिए पुर्जों को विस्तारित की जा रही है।

(2) सेलुलर फोनों, उनके पूर्जों (उपसाधनों को छोड़कर) सहित मोबाइल हेंडसेटों के विनिर्माण के लिए पुर्जों, संघटकों और उपसाधनों पर इस समय 4% के विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से 06.07.2010 तक प्राप्त पूर्ण छूट को 31.3.2011 तक भी दो विनिर्दिष्ट उपसाधनों के पुर्जों को विस्तारित की जा रही है।

(3) माइक्रोवेव ओवनों के विनिर्माण के लिए 1000 कि.वाट तक के मेग्नाट्रोनों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(4) अतिरिक्त रूप से विनिर्दिष्ट पूंजी माल और इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट विस्तारित की जा रही है।

ञ. मनोरंजन/मीडिया

(1) प्रदर्शन के लिए फिल्में का चल चित्रण फिल्मों या डिजिटल मीडिया पर आयात की जाती हैं। फिल्मों के डिजिटल मास्टर/स्टैम्पर का भी सीडी/डीवीडी के अनुलिपिकरण और वितरण के लिए आयात किया जाता है। यह उपबंध किया जा रहा है कि अब सीमाशुल्क केरियर मीडियम के मूल्य पर ही प्रभारित की जाएगी और शेष मूल्य पर सीमाशुल्क को छूट प्रदान की जाएगी।

(2) वैसा ही कर उपचार, जैसा ऊपर फिल्मों के लिए उपबंधित है, अनुलिपिकरण के लिए डिजिटल मीडिया पर आयातित फुटकर विक्रय हेतु संगीत और खेल साफ्टवेयर (पूर्व संवेष्टित रूप से भिन्न) पर विस्तार किया जा रहा है। पूर्व संवेष्टि मूवी, संगीत और खेल (खेल कन्सोल सहित उपयोग के लिए) पर सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के निबंधनानुसार अवधारित मूल्य पर आयात शुल्क प्रभारित होते रहेंगे।

(3) ट्रेलरों, फिल्मों आदि का निर्माण जैसी संवर्धन सामग्री को जिसे इलेक्ट्रानिक संवर्धन किटों (ई.पी.के) बेटाकेम्स के रूप में निःशुल्क आयात किया जाता है विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, आधारिक सीमा शुल्क और सीवीडी से पूर्णतया छूट प्रदान की जा रही है।

(4) परियोजना आयात प्रास्थिति 5% रियायती आधारिक सीमा शुल्क और शून्य विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित ' 'डिजीटल हैड इन्ड की स्थापना" करने के लिए प्रदान की जा रही है।

ट. स्वर्ण परिष्करण

स्वर्ण अयस्क और सान्द्र को आधारिक सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान की जा रही है। तथापि, ये प्रति दस ग्राम स्वर्ण अन्तर्वस्तु पर 140 रुपए की दर से प्रतिशुल्क प्रभार्य होंगे । यह शुल्क संरचना वास्तिवक उपयोक्ता शर्त के अधीन है।

ठ. निर्यात संवर्धन

(1) रोहडियम पर आधारिक सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 2% किया जा रहा है।

(2) नमूनों का नि%शुल्क आयात के लिए एक लाख रुपए प्रति वर्ष की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए प्रति वर्ष किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में खेल सामान के निर्माण के लिए विनिर्दिष्ट संघटक, कच्ची सामग्री और उपसाधन आधारिक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त हैं। छूट की सूची में कुछ अतिरिक्त मदें जोड़ी जा रही हैं।

ड. वैद्युत ऊर्जा

वर्तमान में, वैद्युत ऊर्जा सीमाशुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है। विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन के गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों को प्रदाय की गई वैद्युत ऊर्जा पर अब 16% मूल्यानुसार शुल्क धन शून्य विशेष प्रति शुल्क लागू होगा। यह परिवर्तन 26 जून, 2009 से भूतलक्षी रूप से किया जा रहा है। उपरोक्त से भिन्न वैद्युत ऊर्जा के प्रदायों या आयातों पर छूट जारी रहेगी।

ढ़. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

समझौता आयोग से संबंधित धारा 127 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि कति पय उपबंधों को वैसे ही प्रत्यावर्तित किया जा सके जैसे वे वित्त विधेयक, 2007 के अधिनियमन से पूर्व विद्यमान थे। तद्नुसार जहां कोई निर्धारिती उन मालों के लिए कम उदग्रहण स्वीकार करता है जिनकी बाबत उसने उचित अभिलेख (अर्थात गलत घोषणा, गुप्त रूप से हटाने आदि के मामले) नहीं रखे हैं, वहां उन उन मामलों के निपटान के लिए आवेदन फाइल करने पर लगे प्रतिषेध को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार, उस निर्बंधन से, कि कोई निर्धारिती केवल एक बार निपटान की मांग कर सकेगा, भी छूट दी जा रही है। आयोग, को उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आवेदनों के निपटारे के लिए नौमास की समय सीमा को और तीन मास तक बढ़ाने के लिए सशक्त किया जा रहा है।

ण. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अधीन अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के आधार पर उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य माल की बाबत प्रति शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए आयातित माल का मूल्य वह होगा जो ऐसे आयातित माल पर घोषित फुटकर विक्रय कीमत में से उपशमन रकम यदि कोई हो, को घटाकर आता है। यह परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

(2) एक नई टैरिफ मद, जिसके अन्तर्गत 60मि.मी. से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर सिगरेट भी आती हैं, के अन्तःस्थापन और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में अन्य परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, वैसा ही परिवर्तन शीर्ष 2402 में किया जा रहा है जिसमें नई टैरिफ मद पर 30% मूल्यानुसार सीमाशुल्क लागू होगा।

(3) अध्याय 27 में, उपशीर्ष 271220 और टैरिफ मद 2712 2010 और 2712 2090 को 2712 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा हैं जिसके अन्तर्गत तक अंतर्विष्ट "तेल के 0.75% से कम भार के अनुसार "पैराफिन मोम" आता है। इसके अतिरिक्त, तेल के "0.75% और उससे अधिक के भार तक पैराफिन मोम" को सम्मिलित करने वाली टैरिफ मद 2712 9040 अन्तःस्थापित की जा रही है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

टिप्पण : जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

क. गैर-पेट्रोलियम मालों के लिए साधारण सेनवेट दर :

गैर पेट्रोलियम उत्पादों पर 8% उत्पाद-शुल्क की मानक दर को, ऐसे कुछ अपवादों के साथ जहां छूट/रियायतें प्रदान की गई हैं, बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

ख. सीमेंट

8% शुल्क की मानक दर को बढ़ाकर 10% करने के परिणामस्वरुप, सीमेंट और सीमेंट क्लींकर पर शुल्क की विनिर्दिष्ट दरों को निम्नानुसार बढ़ाया जा रहा है :

लघु सीमेंट संयंत्र

	सीमेंट	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	**पैकेज के रूप में निकासी किए गए, -**		
	(i) जिनका फुटकर विक्रय मूल्य 190 रुपए प्रति 50 कि.ग्रा. थैले से अनाधिक है या प्रतिटन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य 3800 रुपए से अनाधिक है;	145 रुपए प्रतिटन	185 रुपए प्रतिटन
	(ii) जिनका फुटकर विक्रय मूल्य 190 रुपए प्रति 50 कि.ग्रा. थैले से अधिक है, या प्रतिटन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य 3800 रुपए से अधिक है	250 रुपए प्रतिटन	315 रुपए प्रतिटन
2.	पैकेज के रूप में निकासी किए गए से भिन्न	170 रुपए प्रतिटन	215 रुपए प्रतिटन

<u>लघु सीमेंट संयंत्र से भिन्न</u>

	सीमेंट	**वर्तमान दर**	**प्रस्तावित दर**
1.	पैकेज के रूप में निकासी किए गए, —		
	(i) जिनका फुटकर विक्रय मूल्य 190 रुपए प्रति 50 कि. ग्रा. थैले से अनधिक है या प्रतिटन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य 3800 रुपए से अनधिक है;	230 रुपए प्रतिटन	290 रुपए प्रतिटन
	(ii) जिनका फुटकर विक्रय मूल्य 190 रुपए प्रति कि.ग्रा. थैले से अधिक है या प्रतिटन समतुल्य फुटकर विक्रय मूल्य 3800 रुपए से अधिक है	फुटकर विक्रय मूल्य का 8%	फुटकर विक्रय मूल्य का 10%
2.	पैकेज के रूप में निकासी किए गए से भिन्न	8% या 230 रुपए प्रतिटन, जो भी अधिक हो	10% या 290 रुपए प्रतिटन, जो भी अधिक हो
	सीमेंट क्लींकर	300 रुपए प्रतिटन	375 रुपए प्रतिटन

ग. आटोमोबाइल सेक्टर

बड़ी कारों, बहु उपयोगिता यानों और स्पोर्टस उपयोगिता यानों आदि पर और उनकी चैसिस पर उत्पाद-शुल्क के मूल्यानुसार संघटक को 20% से बढ़ाकर 22% किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट संघटक में कोई परिवर्तन नहीं है, जो यथा लागू उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

घ. पेट्रोलियम उत्पाद

मोटर स्पिरीट (पेट्रोल) और एचएसडी (डीज़ल) पर उत्पाद-शुल्क की दर 1 रुपए प्रति लीटर की दर से वृद्धि की जा रही है। इन मदों पर शुल्क की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार हैं :

वर्णन	**बिना ब्रांड नाम वाला**	**ब्रांड नाम वाला**
मोटर स्पिरिट	*14.35 रुपए प्रति लीटर	*15.50 रुपए प्रति लीटर
एचएसडी	**4.60 रुपए प्रति लीटर	**5.75 रुपए प्रति लीटर

टिप्पण : * **इसमें 2 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और 6 रुपए का विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क सम्मिलित है।**

** 2 रुपए अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क सम्मिलित है।

http://indiabudget.nic.in

ङ तंबाकू उत्पाद

(1) 70 मि.मी. से अनाधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटों के विद्यमान स्लैब को दो स्लैबों में विभक्त किया जा रहा है; 60 मि.मी. से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरटें; और 60 मि.मी. से अधिक किन्तु 70 मि.मी. से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें इन स्लैबों के लिए उपयुक्त दरें विहित की जा रही हैं। अन्य सिगरेटों पर आधारिक उत्पाद -शुल्क (बीईडी) को पुनरीक्षित किया जा रहा है। सिगरेटों पर आधारिक उत्पाद -शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद -शुल्क और एनसीसीडी सहित उत्पाद-शुल्क की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	वर्णन	वर्तमान दर (रुपए प्रति हजार)	प्रस्तावित दर
	निम्नलिखित मि.मि. लंबाई की गैर फिल्टर		
1.	60 से अनधिक	819	669 [509 बीईडी + 70 एईडी + 90 एनसीसीडी]
2.	60 से अधिक किंतु 70 से अनधिक	1323	1473 [1218 बीईडी + 110 एईडी + 145 एनसीसीडी]
	निम्नलिखित मि.मी. लंबाई की फिल्टर		
3.	60 से अनाधिक	819	669 [509 बीईडी + 70 एईडी + 90 एनसीसीडी]
4.	60 से अधिक किंतु 70 से अनधिक	819	96 [809 बीईडी + 70 एईडी + 90 एनसीसीडी]
5.	70 से अधिक किंतु 75 से अनधिक	1323	1473 [1218 बीईडी + 110 एचसी + 145 एनसीसीडी]
6.	75 से अधिक किंतु 85 से अनधिक	1759	1959 [1624 बीईडी + 145 एईडी + 190 एनसीसीडी]
7.	अन्य	2163	2363 [1948 बीईडी + 180 एचसी + 235 एनसीसीडी]
8.	तंबाकू प्रतिस्थापनों की सिगरेटें	1208	1408 [1258 बीईडी + 150 एनसीसीडी]

टिप्पण : बीईडी, एईडी और एनसीसीडी से क्रमशः आधारिक उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क अभिप्रेत है।

(2) इस समय, तंबाकू के सिगारों, चिरुटों और सिगारिलोस पर 8% के आधारिक उत्पाद-शुल्क (बीईडी) की दर से मूल्यानुसार धन 1.6% (स्वास्थ्य उपकर)लागू होता है। अब इन दरों को "10% की या 1227 रुपए प्रति हजार की दर, इनमें जो भी अधिक हो" (बीईडी) और "1.6% या 246 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो" (एईडी) की समिश्रित दर से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तंबाकू प्रतिस्थापकों के सिगार, चिरुटों और सिगारिलोस पर "10% या 1473/1000", जो भी अधिक हो, का बीईडी लागू होगा।

(3) ब्रांडीकृत अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू अपशिष्ट पर आधारिक उत्पाद-शुल्क को 42% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है।

(4) ब्रांडीकृत 'हुक्का' या 'गुडाकु' तंबाकू पर आधारिक उत्पाद-शुल्क का 8% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है, जबकि चबाने वाले तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाली विनिर्मितियों, जर्दा सुगंधित तंबाकू, नसवार और इसकी निर्मितियां, तंबाकू सार और अरक आदि पर आधारिक उत्पाद-शुल्क को 50% से 60% किया जा रहा है।

(5) ब्रांडीकृत समरुपित या पुनर्गठित तंबाकू पर आधारिक उत्पाद-शुल्क को भी 50% से बढ़ाकर 60% किया जा रहा है।

(6) अन्य धूम्रपान तंबाकू (ब्रांडीकृत) की मदों पर आधारिक उत्पाद-शुल्क को 34% से बढ़ाकर 40% किया जा रहा है, जबकि ऐसे अब्रांडीकृत तंबाकू पर शुल्क को 8% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

(7) पाइपों और सिगरेटों के धूम्रपान मिश्रणों पर आधारिक उत्पाद-शुल्क को 300% से बढ़ाकर 360% किया जा रहा है।

(8) कर्तिक तंबाकू पर आधारिक उत्पाद-शुल्क को 50 रुपए प्रति कि.ग्रा. से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति कि.ग्रा. किया जा रहा है।

(9) पेकिंग मशीनों की सहायता से पाउचों में पैक किए गए चबाने वाले तंबाकू और ब्रांडीकृत अविनिर्मित तंबाकू पर उत्पाद-शुल्क को अब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अधीन उत्पादन की क्षमता के आधार पर उद्गृहीत किया जा रहा है (शमनीय उद्ग्रहण)। यह उद्ग्रहण 8 मार्च, 2010 से प्रभावी होगा।

च. स्वच्छ उर्जा उपकर

भारत में उत्पादित कोयला, लिग्नाइट और पांस पर स्वच्छ उर्जा उपकर अधिरोपित किया जा रहा है। इस उपकर को वित्त विधेयक 2010 के अधिनियम के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उत्पाद-शुल्क के रूप में उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

छ. सेक्टर विनिर्दिष्ट अनुतोष उपाय :

I. खाद्य/कृषि प्रसंस्करण और कृषि सेक्टर

(1) कृषि उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण या परिवहन के लिए 20 विनिर्दिष्ट उपस्करों को वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद-शुल्क को मधुवाटिका, उद्यान कृषि, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, जलीय और समुद्रीय उत्पाद और साथ ही मांस और उसके प्रसंस्करण को विस्तारित किया जा रहा है।

(2) कृषि प्रयोजनों के लिए स्वतः भराई/स्वतः उतराई करने वाले ट्रेलरों और अर्द्ध ट्रेलरों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट विस्तारित की जा रही है (टैरिफ मद 8716 20 00)।

II. पर्यावरण हितैषी और उर्जा बचाने वाले माल

(1) कारों, दुपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों (जैसे 'सोलेक्शा') सहित इलैक्ट्रीकल यानों के सभी प्रवर्गों विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों, अर्थात् बैटरियों, जिनके अंतर्गत बैटरी चार्जर और एसी या डीसी मोटर नियंत्रक भी हैं, के लिए 4% शुल्क की समान रियायती दर विहित की जा रही है। यह रियायत 31.03.2013 तक उपलब्ध होगी। ऐसे यानों पर भी 4% की दर से उत्पाद-शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(2) एलईडी लाइटों/लाइटिंग फिक्सचरों पर उत्पाद-शुल्क को 8% से घटाकर 4% किया जा रहा है।

(3) पवन चालित विद्युत जनित्रों के लिए रोटर ब्लेडों के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।

III. पूंजी माल

अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के प्रति प्रदाय किए गए मालों को वर्तमान में उपलब्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट को अब ऐसी विशाल विद्युत परियोजनाओं को, जिनसे विद्युत प्रदाय को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सहयोजित किया गया है, प्रदाय किए गए मालों पर विस्तारित किया जा रहा है। यह छूट वहां भी उपलब्ध होगी जहां विशाल विद्युत परियोजना को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान किया गया है।

IV. एमएसएमई/लघु उद्योग सेक्टर

(1) अधिसूचना सं. 8/2003-सीई के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र लघु उद्योग (एसएसआई) इकाईयों को कतिपय प्रसुतिधाए उपलब्ध कराने के लिए सुसंगत उपबंधों में निम्नानुसार परिवर्तन किए जा रहे हैं :

(क) ऐसे मालों की प्राप्ति के वर्ष में एक किश्त में पूंजी मालों पर पूर्ण सेनवेट प्रत्यय।

(ख) त्रैमासिक आधार पर उत्पाद-शुल्क के संदाय की सुविधा।

उपरोक्त परिवर्तन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तब भी लागू होंगे यदि कोई पात्र इकाई एसएएआई छूट न लेने का विकल्प लेती है।

(2) त्रैमासिक विवरणियां फाइल करने की प्रणाली को बनाए रखते हुए, एसएसआई इकाईयों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विवरणियां फाइल करने की अंतिम तारीख को पहले करके त्रैमासिक के अगामी मास की 10 तारीख किया जा रहा है।

(3) साधारण एसएसआई छूट स्कीम के अधीन ब्रांड नाम निर्बंधन से छूट की पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग होने वाली प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक आधानों को विस्तारित किया जा रहा है।

V. स्वर्ण और रजत

(1) अयस्क/सांद्रण प्रक्रम से बनाई गई परिष्कृत स्वर्ण छडों को इनपुट और पूंजी मालों पर सेनवेट प्रत्यय प्रसुविधा के साथ 280 रुपए प्रति दस ग्राम (मूल्यानुसार 8% की बजाय) उत्पाद-शुल्क लागू होगा।

(2) किसी 100% ईओयू द्वारा विनिर्मित सादे स्वर्ण और रजत आभूषणों की डीटीए निकासी पर उत्पाद-शुल्क को निम्नानुसार बढ़ाया जा रहा है :

(i) स्वर्ण आभूषणों के लिए 500 रुपए प्रति 10 ग्राम से 750 रुपए प्रति 10 ग्राम; और

(ii) रजत आभूषणों के लिए 1000 रुपए प्रति कि.ग्रा. से 1500 रुपए प्रति कि.ग्रा.

ज. अन्य अनुतोष उपाय

(1) निम्नलिखित मदों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है :

(क) पूर्णतया रजाईदार टेक्सटाइल सामग्री से बनी बिस्तर संबंधी वस्तुएं;

(ख) प्राकृतिक रबड़ से बने खिलौने गुब्बारे;

(ग) "सुपारी" के रूप में ज्ञात बीटल नट उत्पाद;

(घ) डिमेथोलाइज्ड तेल, डिटरपीनेटिड मेन्था तेल, स्पी अरमिंट/मेन्था पिपरिटा तेल और मेंथोल के सभी मध्यवर्ती और उप-उत्पाद।

(2) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क को 8% से घटाकर 4% किया जा रहा है :

(क) सभी घरेलू किस्म के वाटर फिल्टरों (आरओ प्रौद्योगिकी पर प्रचालन करने वालो से भिन्न) के लिए प्रतिस्थापनीय किटों;

(ख) अकेले विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित नालीदार डिब्बों/कार्टनों।

(ग) लेटेक्स रबड़ धागे।

(3) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मालों पर उत्पाद-शुल्क को, उसे मानक सेनवेट दर के समान बनाने के लिए 16% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

सुव्यवस्थीकरण उपाय

(1) वर्तमान में मक्की स्टार्च और कसावा स्टार्च को उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, जबकि आलू स्टार्च पर 8% का शुल्क लागू है। अब इन सभी तीनों स्टार्चों पर 4% की समान दर से उत्पाद-शुल्क लागू होगा।

(2) अंतिम बजट में, विद्युत का उपयोग न करने वाले भटटों में विनिर्मित सिरेमिक टाइलों को लागू 4% रियायती दर से उत्पाद-शुल्क को बढ़ाकर सेनवेट प्रत्यय प्रसुविधा के बगैर 8% कर दिया गया था। चूंकि, साधारणतया भी सिरेमिक टाइलों पर सेनवेट प्रत्यय के साथ 8% का उत्पाद-शुल्क (मानक दर) लागू था, इसलिए यह प्रविष्टि व्यर्थ हो गई थी। भट्ठों में आग जलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर ध्यान न देते हुए, सभी सिरेमिक टाइलों पर शुल्क की दर को सेनवेट प्रत्यय सुविधा के साथ एकसमान रूप से 10% किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में छतरियों पर 4% उत्पाद-शुल्क और छतरियों के पुर्जों पर 8% उत्पाद-शुल्क लागू है और छतरी के कपड़ा पैनल को पूर्णतया छूट प्राप्त है। छतरियों और छतरियों के पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क की दर को एक समान रूप से 4% किया जा रहा है।

(4) वर्तमान में, दो भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के अधीन रफ ओपथेलमिक ब्लैंकस के लिए उत्पाद-शुल्क की दो दरें (शून्य और 4%) लागू हैं।

ञ. छूटों/रियायतों का वापस लिया जाना

(1) निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट को वापस लिया जा रहा है। अब उन पर 4% उत्पाद-शुल्क लागू होगा :

(क) कीटनाशकों से युक्त मच्छरदानियां;

(ख) एवी गैस;

(ग) कंप्यूटरों (मदर बोर्ड से भिन्न), फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव बाहय उपयोग के लिए फ्लैश ड्राइव, सीडी/डीवीडी और कोम्बों ड्राइव के लिए माइक्रोप्रोसेसर।

(2) शिशु और नैदानिक डाइपरों और सेनिटरों नेपकिनों पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट को वापस लिया जा रहा है। इन मदों पर अब 10% शुल्क लागू होगा।

(3) ओपन टिन सेनिटरी (ओटीएस) कैनों पर उत्पाद-शुल्क की रियायती दर को वापस लिया जा रहा है। ओटीएस केनों पर अब 10% शुल्क लागू होगा।

(4) धूप के चश्मों पर उत्पाद-शुल्क की रियायती दर को वापस लिया जा रहा है, सिवाय उनके, जिनका उपयोग नजर ठीक करने के लिए किया जाता है। इन मदों पर 10% शुल्क लागू होगा।

ट. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

(1) धारा 11क(2ख) में यह स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है कि जहां विभाग द्वारा मांग सूचना जारी किए जाने से पूर्व ब्याज के साथ शुल्क का संदाय कर दिया गया है, वहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) समझौता आयोग से संबंधित धारा 32 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि कतिपय उपबंधों को उस रूप में पुनःस्थापित किया जा सके, जैसे कि वे वित्त विधेयक, 2007 के अधिनियमन से पूर्व थे। तदनुसार, जहां कोई निर्धारिती ऐसे मालों के लिए, जिनके संबंध में उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं (अर्थात् गलत घोषणा, गुप्त रूप से हटाए जाने के मामले) कम उद्ग्रहण को स्वीकार करता है, वहां मामलों के समाधान के लिए आवेदन फाइल करने संबंधी प्रतिषेधों को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार, इस निर्बंधन को भी शिथिल किया जा रहा है कि कोई निर्धारिती केवल एक बार समझौते की वांछा कर सकेगा। आयोग को आवेदनों के निपटारे के लिए नौ मास की समय सीमा को कारण लेखबद्ध करके तीन और मास के लिए बढ़ाने हेतु सशक्त किया जा रहा है।

(3) धारा 37 में, एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे कि विनिर्माणकर्ता या निर्यातकर्ता पर सेनवेट प्रत्यय की उपयोगिता पर निर्बंधन या शुल्क के अपवचन या सेनवेट प्रत्यय के दुरुपयोग के साथ बरतने के लिए व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन सहित सुविधाओं को वापस लेने या निर्बंधनों के अधिरोपण के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध किया जा सके।

वित्त विधेयक के अधिनियमन पर उपरोक्त परिवर्तन प्रभावी होंगें।

ठ. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन :

(1) शीर्ष 2402 में, जिसके अंतर्गत 60 मि.मी. से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें आती है, नई टैरिफ मद को अंतःस्थापित किया गया है। परिणामिक परिवर्तन, उक्त शीर्षक में की अन्य टैरिफ मदों में भी किया गया है।

(2) अध्याय 27 में, उपशीर्ष 2712 20 और टैरिफ मदें 2712 2010 और 2712 20 90 को 2712 20 00 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत "तेल के 0.75 प्रतिशत से कम भार द्वारा अंतर्विष्ट 'पैराफिन मोम' है और टैरिफ मद 2712 90 40 जिसके अंतर्गत "0.75 प्रतिशत भार द्वारा अंतर्विष्ट मोम और अधिक तेल है" अंतःस्थापित किया जा रहा है।

(3) अध्याय 68 में, टिप्पण 3 अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्षक 6802 और 6810 को माल के संबंध में कर्तन; आराकशी या आकार देने या पालिश करने की प्रक्रिया या पत्थर के ब्लाकों को स्लैब या टाइल्स में संपरिवर्तन के लिए अन्य प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगा।

(4) अध्याय 76 में, टिप्पण 2 अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे कि अल्यूमिनियम टयूब पाइप के आरेखण या पुनःआरेखण की प्रक्रिया को "विनिर्माण" की कोटि के रूप में घोषित किया जा सके।

ड. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम और सेनवेट प्रत्यय नियम में संशोधन :

1. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 11(5) को हटाया जा रहा है जिससे कि बीजक के पूर्व अधिप्रमाणन की अपेक्षा से छुटकारा दिया जा सके।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, सेनवेट प्रत्यय नियम, 2000, सेनवेट प्रत्यय नियम, 2001 सेनवेट प्रत्यय नियम, 2002 और सेनवेट प्रत्यय प्रत्यय नियम, 2004 को 01.09.1996 से 31.03.2008 तक भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है (उस अवधि के लिए जो अपने-अपने नियमों में लागू है) जिससे यह उपबंध किया जा सके जहां विनिर्माणकर्ता, दोनो शुल्कीय और छूटप्राप्त माल का विनिर्माण करने के लिए ईंधन से भिन्न किसी इनपुट के संबंध में मोडवेट/सेनवेट प्रत्यय का लाभ उठाता है तो वह विपरीत प्रत्यय के छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए इनपुट को आरोप्य प्रत्यय के समतुल्य रकम के संदाय का विकल्प ले सकेगा। यह और उपबंधित किया जाता है कि ऐसा विनिर्माणकर्ता निकासी की तारीख से उक्त प्रत्यय की वापसी या उसके समतुल्य के रकम की संदाय की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करेगा। तथापि, ऐसा विकल्प केवल ऐसे मामलों को उपलब्ध रहेगा जहां अधिनियमन की तारीख को इस संबंध में विवाद लंबित हैं। यह परिवर्तन वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

3. सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3(5) को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि अधिसूचना सं. 52/2003-सीमाशुल्क के अधीन ईओयू/ई.एच.टी.पी./एस.टी.पी. के उसी तरह पूंजी माल के लिए यथा लागू उन्हीं दरों पर कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिफरलें, जिनकी उपयोग के पश्चात निकासी की जानी है, के मामलों में त्वरित अवक्षयण प्रदान किया जा सके।

4. सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3(5) को संशोधित किया जा रहा है जिससे प्रत्यय के विपर्यय के बिना, प्रधान विनिर्माणकर्ता के विनिर्देशों के अनुसार माल के उत्पादन के लिए विक्रेता को जिग्स, फिक्सचर, सांचे और रूपदा भेजने के लिए अनुज्ञा दी जा सके।

5. केन्द्रीय प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6(6)(vii) को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि विशाल विद्युत परियोजनाओं से जिससे विद्युत प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आधारित टैरिफ या प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आधारित टैरिफ के माध्यम से प्रदान की गई परियोजनाओं के माध्यम से सहयोजित किया गया है, को प्रदाय माल के विनिर्माण में उपयोजित इनपुट पर सेनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जा सके।

6. सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 15 को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि इनपुट या पूंजी माल या इनपुट सेवाओं पर संदत्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय का गलत लाभ उठाने के लिए शास्तिक उपबंधों को सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके।

ढ़ औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 में संशोधन

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम की धारा 3 को इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों द्वारा विनिर्मित या उत्पादित माल को अपवर्जित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। यह परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

ण. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में संशोधन

केन्द्रीय विक्रय कर के उपबंधों का संशोधन किया जा रहा है जिससे निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सके :

(i) पता लगाए गए नए तथ्यों के आधार पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारण या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण

(ii) कर की दर; निर्धारणीय आवर्त के परिकलन, शास्ति और प्रक्रिया संबंधी अनुषंगिक मुद्दों सहित स्टाक अन्तरण या अन्तरराज्यिक विक्रय वाले मुद्दों पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों के विरुद्ध प्रत्येक राज्य के उच्चतम प्राधिकारी को अपीलों का फाइल किया जाना

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अपील प्राधिकारी को स्टाक अन्तरण या माल के परेषणों से संबंधित अन्तरराज्यिक प्रकृति के विवादों पर राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील का फाइल किया जाना ।

उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा ।